UPMT010013512026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–610/2026
वाली उर्फ वेदप्रकाश प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 270/2025, धारा 64(2)(एफ), 351(3) भारतीय न्याय संहिता व 67 ए आई०टी० एक्ट, थाना मांट, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **वाली उर्फ वेदप्रकाश** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिया/पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करते हुए वीडियो बना लेना, ब्लैकमेल कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए बलात्कार करना तथा वादिया की शादी के बाद अश्लील फोटो व वीडियो वादिया के ससुरालीजन के मोबाइल पर भेजकर वायरल कर देना तथा वादिया के पति को जान से मारने की धमकी देना, आक्षेपित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी पक्ष के निजी विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा मदनलाल में मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसको इस केस में झूठा फँसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो लगाया गया है, न खारिज हुआ है और न ही लंबित है। वादिया द्वारा आवेदक/अभियुक्त के उधारी के रूपये न देना पड़े इसलिए झूंठी घटना बनाकर पुलिस से मिलकर झूंठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट अतिविलम्ब से करीब एक वर्ष बाद दर्ज करायी गयी है। वादिया का कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या नहीं है। वादिया द्वारा अंकित तहरीर में किसी भी प्रकार की निष्पक्ष मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य जो घटना को प्रमाणित करती हो, तमामी विवेचना के संकलन में संकलित नहीं की गयी है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कथित घटना किसी भी प्रकार के साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होती है, ना ही बलात्कार का मुकदमा प्रमाणित होता है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है और दिनांक 17.12.2025 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष/वादी पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। दौरान विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित कर दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त पीड़िता का सगा मौसा है, जिसने अपनी पुत्री समान लड़की के साथ बलात्कार का अपराध करके वीडियो वायरल कर दी। वायरल वीडियो के सम्बन्ध में फोरेन्सिक रिपोर्ट भी दाखिल की गयी है। पीड़िता ने अपने धारा 180 व 183 बी०एन०एस०एस० के बयान में घटना की पुष्टि की है। पीड़िता के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में जो देरी की गयी है, वह डर व भय व ब्लैकमेलिंग के कारण की गयी है। पुलिस के द्वारा उपरोक्त मुकदमे की विवेचना के दौरान पीड़िता के साथ–साथ 11 लोगों के बयान भी अंकित किये, जिन्होंनें घटना का पूर्ण समर्थन किया है। अपराध जघन्य प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.18 16:30:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6– केस डायरी पर मामले की पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० की नकल विवेचक द्वारा अंकित की गयी है, जिसमें उल्लिखित है कि शादी से दो महीने पहले वह अपनी मौसी के पास गयी थी, मौसीजी घर पर थी, मौसाजी वेदप्रकाश उसके साथ छेड़छाड़ करते थे, उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती सम्बन्ध बनाए व उसकी वीडियो बना ली। उसे धमकी दी कि उसे जान से मार देंगे, अगर अच्छे से वीडियो नहीं बनवायी तो देख लेंगे। उसकी शादी हो गयी, फिर कहा कि हस्बैंड के साथ रहेगी तो तुझे जान से मार दूंगा। उसने ऐसा नहीं किया तो वीडियो उसके हस्बैंड व ससुरालवालों को भेज दिया। हर रोज गंदी वीडियो भेजता है।

केस डायरी पर विवेचक द्वारा अंकित अन्य गवाहान ने भी अपने बयान में पीड़िता के कथनों का समर्थन किया है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिया/पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करते हुए वीडियो बना लेना, ब्लैकमेल कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए बलात्कार करना तथा वादिया की शादी के बाद अश्लील फोटो व वीडियो वादिया के ससुरालीजन के मोबाइल पर भेजकर वायरल कर देना तथा वादिया के पति को जान से मारने की धमकी देना, आक्षेपित है। आवेदक/अभियुक्त पीड़िता का मौसा होना बताया गया है।

अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

आवेदक/अभियुक्त **वाली उर्फ वेदप्रकाश** की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा को ई–मेल **districtjailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

दिनांक–18.03.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा